रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 2011/आषाढ़ 1, 1933
No. 129] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 2011/ASADHA 1, 1933

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2011

फा. सं. एल-7/145 (160)/2008-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों, तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन**: मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (3) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु यह कि जहां अंनतिम रूप से बिल किया गया टैरिफ, इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित अंतिम टैरिफ से अधिक या कम है तो वहां, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अंतिम टैरिफ आदेश के जारी होने की तारीख से अनंतिम बिलिंग की तारीख तक की अवधि के लिए छह मास के भीतर, यथास्थिति, फायदाग्राहियों या पारेषण ग्राहकों को निम्नलिखित दरों पर साधारण ब्याज के साथ वापस करेगा या उनसे वसूलेगा:

(i) वर्ष 2009–10 के लिए 1.4.2009 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अल्प–कालिक प्राइम लैडिंग दर।

(ii) वर्ष 2010–11 के लिए 1.7.2010 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आधार दर प्लस 350 बेसिस प्वाइंट।

(iii) वर्ष 2011–12 के लिए 1.7.2010 से 31.3.2011 तक मासिक औसत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आधार दर प्लस 350 बेसिस प्वाइंट; और

(iv) वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के लिए पूर्व वर्ष के दौरान मासिक औसत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आधार दर प्लस 350 बेसिस प्वांइट:

परंतु यह और कि उन मामलों में जहां टैरिफ का अवधारण इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पहले ही अवधारित किया गया हो, वहां उपरोक्त उपबंध स्वयं पक्षकारों द्वारा ब्याज दरों में परिवर्तन होने तक लागू किए जाएंगे और विसंगतता, यदि कोई हो, को ट्रयूंग अप के समय दूर किया जाएगा।

3. **मूल विनियम के विनियम 6 का संशोधन**:– मूल विनियम के 6 के खंड (4) , खंड (5) तथा खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे:

"**6. पूंजी व्यय तथा टैरिफ का ट्रयूंग अप**:–

(4) जहां ट्रयूंग अप के पश्चात, वसूला गया टैरिफ इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ से अधिक होता है तो वहां, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इस विनियम के परंतु में विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज के साथ इस प्रकार वसूली गई अधिक रकम को, यथास्थिति, फायदाग्राहियों या पारेषण ग्राहकों को वापस करेंगे।

(5) जहां ट्रयूंग अप के पश्चात, वसूला गया टैरिफ इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ से कम होता है तो वहां, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इस विनियम के परंतु में विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज के साथ कम वसूली गई रकम को यथास्थिति, फायदग्राहियों या पारेषण ग्राहकों से वसूलेंगे ।

(6) इस विनियम के परंतु में विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज के साथ कम या अधिक वसूली गई रकम यथास्थिति उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ट्रूइंग–अप अभ्यास करने के पश्चात आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर आरंभ होने वाली छह बराबर मासिक किस्तों में, वसूला जाएगा या उन्हें वापस लिया जाएगा।

परंतु यह कि इस विनियम के खंड (4) खंड (5) तथा खंड (6) के अधीन साधारण ब्याज की संगणना करने के लिए ब्याज की निम्नलिखित दरों पर विचार किया जाएगा:

(i) वर्ष 2009–10 के लिए 1.4.2009 को भारतीय स्टेट बैंक अल्प–कालिक प्राइम लैडिंग दर।

(ii) वर्ष 2010–11 के लिए 1.7.2010 को भारतीय स्टेट बैंक आधार दर प्लस 350 बेसिस प्वाइंट।

(iii) वर्ष 2011–12 के लिए 1.7.2010 से 31.3.2011 तक मासिक औसत भारतीय स्टेट बैंक आधार दर प्लस 350 बेसिस प्वाइंट ।

(iv) वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के लिए पूर्व वर्ष के दौरान मासिक भारतीय स्टेट बैंक आधार दर प्लस 350 बेसिस प्वांइट।

4. **मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधनः** मूल विनियम के विनियम 7 के अंतिम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:

"परंतु यह भी कि विद्यमान परियोजनाओं की दशा में, 1.4.2009 से पूर्व आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत, जिसे 1.4.2009 को अनुन्योचित दायित्व को छोड़कर सम्यक् रूप से ट्रयूड–अप किया गया हो तथा टैरिफ अवधि 2009–14 के संबंधित वर्ष के लिए उपगत किए जाने वाले प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजी व्यय, जैसा आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाए, टैरिफ के अवधारण के लिए एक आधार होगा।

5. **मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधनः** मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (2) के उपखंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित तीन नए उपखंड, अर्थात् खंड (vi) खंड (vii) तथा खंड (viii) जोड़े जाएंगे: अर्थात्:

"(vi) गैस/द्रव ईंधन आधारित खुला/संयुक्त साइकल थर्मल उत्पादन केन्द्र की दशा में, कोई ऐसा व्यय, जो गैस टर्बाइनों के नवीकरण पर उनके वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रचालन

के 15 वर्षों के पश्चात्, आवश्यक हो गया हो तथा ऐसा व्यय, जो उत्पादन केंद्रों के सफलतापूर्वक तथा दक्ष प्रचालन के लिए पुर्जों के अप्रचलित या अप्राप्यता के कारण आवश्यक हो गया हो:

परंतु यह कि किसी ऐसे व्यय की, जिसमें खपने वाली सामग्री पर आरएंडएम तथा संघटकों और पुर्जों की ऐसी लागत सम्मिलित है, जो गैस टर्बाइन की प्रमुख मरम्मत के दौरान साधारणतः आर एंड एम खर्चों में सम्मिलित हो, अनुज्ञात किए जाने वाले आर एंड एम व्यय से सम्यक् प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् युक्तियुक्त रूप से कटौती की जाएगी।

(vii) ऐसा कोई पूंजी व्यय, जो अपेक्षित उपांतरणों के कारण आवश्यक हो या उत्पादन केंद्र के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण थर्मल उत्पादन केंद्र की बाबत पूर्ण कोयला लिंकेज के न मिलने के कारण उद्भूत ईंधन प्राप्ति प्रणाली में किया गया हो तथा प्रज्ञावान जांच के पश्चात् जिसे न्यायोचित पाया गया हो ।

(vii) ऐसे अस्थिगित दायित्व के ब्यौरों की प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात्, कट–ऑफ तारीख के भीतर निष्पादित किए गए कार्यों के लिए संविदात्मक आवश्यकताओं के कारण अंतिम संदाय/रोके गए संदाय के मद्दे कोई अनुन्मोचित दायित्व, जिसमें पैकेज की कुल अनुमानित लागत, संदाय को रोकने और ऐसे संदायों आदि को जारी करने के कारण भी सम्मिलित हैं।"

6. **मूल विनियम के विनियम 15 का संशोधन:** मूल विनियम के विनियम 15 के खंड (3) तथा (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, तथा उसके पश्चात्, एक नया खंड (5) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

"(3) रिटर्न आन इक्विटी की दर की संगणना, वर्ष 2008–09 के लिए यथास्थिति, संबंधित उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को यथा लागू आय–कर अधिनियम, 1961 के अनुसार, न्यूनतम अनुकल्पी/निगमित आय–कर दर सहित आधार दर की ग्रासिंग–अप करके की जाएगी।

(4) रिटर्न आन ईक्विटी की दर को तीन दशमलव तक गुणांकित किया जाएगा तथा उसकी संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी;

पूर्व कर रिटर्न ऑन ईक्विटी की दर = आधार दर /=(1-t)

जहां 't' इस विनियम के खंड (3) के अनुसार लागू कर दर है ।

(5) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के समक्ष कोई आवेदन फाइल किए बिना प्रत्यक्षतः संबंधित वित्तीय वर्ष के आय–कर अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार लागू न्यूनतम वैकल्पी/निगमित आय–कर दर में परिवर्तन के कारण रिटर्न ऑन ईक्विटी के मद्दे वार्षिक नियत प्रभारों में कमी को वसूल करेंगे या अधिकता को वापस करेंगे :

परंतु यह कि टैरिफ अवधि के दौरान संबंधित वर्ष के सुसंगत वित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को लागू कर दर की बाबत वार्षिक नियत प्रभारों को इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार ट्रयूड अप किया जाएगा।"

7. **मूल विनियम के विनियम 18 का संशोधनः** (1) मूल विनियम के विनियम 18 के खंड (1) के उपखंड (ख) (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ii) मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के तत्स्थानी 1/2 मास के लिए द्रव ईंधन स्टाक, ईंधन तथा द्रव ईंधन के उत्पादन केंद्रों के प्रचालन की पद्धति पर सम्यक् रूप से विचार करके तथा एक से अधिक द्रव ईंधन के उपयोग की दशा में, मुख्य द्रव ईंधन की लागत। "

(2) मूल विनियम के विनियम 18 के खंड (1) के उपखंड (ग) के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः

"(ग) हाइड्रो उत्पादन केंद्रों, जिसमें पम्पित भंडारण हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केंद्र तथा पारेषण प्रणाली भी है, की दशा में "

(3) मूल विनियम के विनियम 18 के खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"(3) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज की दर मानकीय आधार पर होगी तथा उस पर निम्नानुसार विचार किया जाएगा:–

(i) यूनिट या केंद्र, जिसकी वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 30.6.2010 को या उससे पूर्व होती है, के लिए 1.4.2009 को या उस वर्ष के पहली अप्रैल को, जिसमें यथास्थिति, उत्पादन केंद्र या उसकी यूनिट या पारेषण प्रणाली वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित की गई हो, जो भी बाद में हो, भारतीय स्टेट बैंक अल्पकालिक प्राइम लैंडिग दर।

(ii) 1.7.2010 को या उस वर्ष की पहली अप्रैल को, जिसमें उस यूनिट या केंद्र, जिनकी 1.7.2010 से 31.3.2014 की अवधि के बीच वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख पड़ती है, के लिए यथास्थिति, उत्पादन केंद्र या उसकी यूनिट या पारेषण प्रणाली, जो भी बाद में हो, को वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया जाता है, को भारतीय स्टेट बैंक आधार दर प्लस 350 बेसिस प्वाईंट:

परंतु यह कि उन मामलों में, जहां टैरिफ का अवधारण इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के पहले ही किया गया हो, वहां उपरोक्त उपबंध ट्रयूंग–अप के समय प्रभावी होंगे।"

8. **मूल विनियम के विनियम 32 का संशोधन** – मूल विनियम के विनियम 32 के खंड (3) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा:

"परंतु यह कि पारेषण प्रभारों की भागीदारी, उक्त विनियमों के प्रभावी होने की तारीख से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की भागीदारी) विनियम, 2010 द्वारा शासित होंगी।"

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/11/असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र सं. 10, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 20 जनवरी, 2009 को अधिसूचित किए गए थे तथा मूल विनियम का पहला संशोधन भारत के राजपत्र सं. 92, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 2 मई, 2011 को प्रकाशित किया गया था।